न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या–48/2021
प्रविष्टि दिनांक–22.06.2021
निर्णय दिनांक–01.01.2025

1. कैलाश पुत्र बरधा जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. छोटू पुत्र बरधा जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. नाथी पत्नि बरधा जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गणेश पुत्र रामनिवास जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. मुकेश पुत्र शंकर जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. मंगली पत्नि शंकर जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. रंगलाल पुत्र शंकर जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. रसाली पुत्री शंकर जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. भंवरलाल पुत्र श्योजीलाल जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. रामअवतार पुत्र श्योजीलाल जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. रामलाल पुत्र श्योजीलाल जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. रमेश पुत्र लादू जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. सुरेश पुत्र लादू जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. तहसीलदार तहसील पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री नन्दकिशोर शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 10–अनुपस्थित

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 ...09, 3310, 3317, 3320 कुल किता 04 कुल रकबा 1.7198 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

3299, 3323 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4552 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना व ख0न0
3308, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3318, 3319, 3321, 3324, 3325 कुल किता 12 कुल रकबा 5.
हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना मे स्थित है। जिस पर वादीगण अपने हिस्से अनुसार मौके
वारा कर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं सभी काश्तकार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज
काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हो
है। किन्तु मौके पर वर्षों से पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करके काबिज होकर काश्त करते
आ रहे है, लेकिन विधिवत् विभाजन नही होने के कारण प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि मे से वादीगण के
में मजामहत व मदाखलत करते है तथा वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए
रों के बीच विधिवत् तकास्मा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि किसी प्रकार का भविष्य मे विवाद
है। प्रतिवादीगण बिना विधिवत् तकास्मा के उक्त आराजीयात को अन्य को रहन, दान, बेचान करने व वादी
उसके हिस्से से मजामहत व मदखलत कर बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी
ज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करे। यदि
दीगण को पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को अपार, अरिमित, अकथनीय, हानि होगी, मौके पर झगडे
कई प्रकार की मुकदमेबाजी बढेगी। वादीगण अपने जायज हक से महरूम हो जायेगा। प्रतिवादीगण ने बिना
वैधानिक अधिकार के वादीगण की हिस्से की खातेदारी भूमि को अपने हिस्से में सम्मिलित करने पर आमादा
व वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण
ण का अलग से तकास्मा व तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः डिक्री बहक वादीगण
व प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में खाता संख्या 57, 58, 703 में
भूमियों मे दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात का विधिवत् विभाजन कराया जाकर वादीगण के हिस्से की
का पृथक खाता कायम कराया जावें एवं उसके हिस्से की आराजी का नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 बावजूद
अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।

वादी संख्या 01 कैलाश पुत्र बरधा जाति तेली निवासी ग्राम कठमाना ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन
कि भूमि आराजी ख0न0 3309, 3310, 3317, 3320 कुल किता 04 कुल रकबा 1.7198 हैक्ट. वाके ग्राम
ना पटवार हल्का कठमाना में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है व ख0न0 3299,
कुल किता 02 कुल रकबा 0.4552 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना मे स्थित है। जिसमे
ण का संयुक्त रूप 1/3 हिस्सा है व ख0न0 3307, 3308, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3318, 3319,
3324, 3325 कुल किता 12 कुल रकबा 5.3362 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना मे स्थित
जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। जिस पर सभी पक्षकार अपने हिस्से अनुसार मौके पर
रा कर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत्
जन नही हो रखा है। किन्तु मौके पर वर्षो से पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करके काबिज
काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन विधिवत् विभाजन नही होने के कारण प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वादीगण के हिस्से में मजामहत व मदाखलत करते है तथा वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए पक्षकारों के बीच विधिवत् तकास्मा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि भविष्य में विवाद नही हो। प्रतिवादीगण बिना विधिवत् तकास्मा के उक्त आराजीयात को अन्य को रहन, दान करने व वादी को उसके हिस्से से मजामहत व मदखलत कर बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल न करें। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को अपार, असिमित, अकथनीय, हानि होगी, ... झगड़े होगे, कई प्रकार की मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वादीगण अपने जायज हक से महरूम हो जावेगा। प्रतिवादीगण ने बिना किसी वैधानिक अधिकार के वादीगण की हिस्से की खातेदारी भूमि को अपने हिस्से में शामिल करने पर आमादा है तथा वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण का अलग अलग तकास्मा किया जावे। वादी संख्या 01 ने अपने वाद के समर्थन में प्रर्दश–1 जमाबंदी खाता संख्या 57, प्रर्दश–2 जमाबंदी खाता संख्या 58, प्रर्दश–3 जमाबंदी खाता संख्या 703, प्रर्दश–4 नक्शा ट्रेस पेश की है। अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तकास्मा किया जावे।

बहस अधिवक्ता वादीगण एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। ख0न0 3309, 3310, 3317, 3320 कुल किता 04 कुल रकबा 1.7198 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है व ख0न0 3299, 3323 कुल किता ... कुल रकबा 0.4552 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है व ख0न0 3307, 3308, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3318, 3319, 3321, 3324, 3325 कुल किता 12 कुल रकबा 5.3362 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 के बीच वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से ... में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन ... तैयार करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू से उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में ... नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर पत्रांक 1807 दिनांक 01.08.2023 से तकास्मा रिपोर्ट चाही गई थी, जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3688 दिनांक 02.09.2024 से प्राप्त हो चुकी है।

अधिवक्ता वादीगण ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस वादीगण एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी ... डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादीगण बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर इस

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

डिक्री किया जाता है की मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना में
आराजी भूमि ख0न0 3308/2 रकबा 0.0496 हैक्ट., ख0न0 3311/2 रकबा 0.3217 हैक्ट., ख0न0 3313/2
0.3528 हैक्ट., ख0न0 3315 रकबा 0.3920 हैक्ट., ख0न0 3318/2 रकबा 0.0632 हैक्ट., ख0न0 3319/2
0.4171 हैक्ट., ख0न0 3309 रकबा 0.0632 हैक्ट., ख0न0 3310 रकबा 0.3288 हैक्ट., ख0न0 3320/1 रकबा
हैक्ट., ख0न0 3299 रकबा 0.0885 हैक्ट. कुल किता 10 कुल रकबा 3.0789 हैक्ट. वादी संख्या 01 ता 03
पुत्र बरधा हि. 1/3 जाति तेली सा.देह खातेदार राहिन हि. 1/3 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय
बैंक शाखा रानोली, छोटू पुत्र बरधा हि. 1/3 जाति तेली सा.देह खातेदार राहिन हि. 1/3 (पूर्ण खाता)
राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैक शाखा रानोली व भूमि आराजी ख0न0 3311/1 रकबा 0.3232 हैक्ट., ख0न0
रकबा 0.5690 हैक्ट., ख0न0 3313/1 रकबा 0.4565 हैक्ट., ख0न0 3314 रकबा 0.1517 हैक्ट., ख0न0
/1 रकबा 0.0633 हैक्ट. ख0न0 3317 रकबा 0.2150 हैक्ट. कुल किता 06 कुल रकबा 1.7787 हैक्ट.
वादी संख्या 06 ता 10 भंवरलाल पुत्र श्योजीलाल हि. 1/5 जाति तेली सा.देह खातेदार, रामअवतार पुत्र
श्योजीलाल हि. 1/5 जाति तेली सा.देह खातेदार, रामलाल पुत्र श्योजीलाल हि. 1/5 जाति तेली सा.देह खातेदार,
पुत्र लादू हि. 1/5 जाति तेली सा.देह खातेदार, सुरेश पुत्र लादू हि. 1/5 जाति तेली सा.देह खातेदार के
संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 3307 रकबा 0.2655 हैक्ट., ख0न0 3308/1 रकबा
हैक्ट., ख0न0 3319/1 रकबा 0.4175 हैक्ट., ख0न0 3321 रकबा 0.5437 हैक्ट., ख0न0 3324 रकबा 0.
हैक्ट., ख0न0 3325 रकबा 0.6702 हैक्ट., ख0न0 3323 रकबा 0.3667 हैक्ट., ख0न0 3320/2 रकबा 0.1128
कुल किता 08 रकबा 2.6556 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 गणेश पुत्र रामनिवास हि. 1/2 जाति तेली
देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रानोली, मुकेश पुत्र शंकर
13/84 जाति तेली सा.देह खातेदार राहिन हि. 13/84 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा रानोली, रंगलाल पुत्र शंकर हि. 13/84 जाति तेली सा.देह खातेदार राहिन हि. 13/84 (पूर्ण खाता) बडौदा
राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रानोली, मंगली पत्नि शंकर हि. 13/84 जाति तेली सा.देह खातेदार राहिन हि.
/84 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रानोली, रसाली पुत्री शंकर हि. 1/28 जाति तेली
देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व
प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे।
तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी
। निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(...)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक (राज0)